/

दिनांक 12.01.2024 को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की 404वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति

1.	श्री संदीप पौण्डरीक	अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग –सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	अध्यक्ष
2.	श्री पंकज दीक्षित	उद्योग निदेशक	सदस्य
3.	श्री दिलीप कुमार	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
4.	श्री अभय कुमार	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
5.	श्री विवेक रंजन मैत्रेय	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय	सदस्य

क्र॰	बैठक में रखे गये प्रस्ताव	बोर्ड का निर्णय
1.	बिहार राज्य खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना समिति का पुर्नगठन निम्न प्रकार से करने की स्वीकृति के संबंध में। • उद्योग निदेशक, बिहार, पटना – अध्यक्ष • मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, – सदस्य बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना • उप सचिव, (स्थापना) – सदस्य उद्योग विभाग, बिहार, पटना • अवर सचिव, (स्थापना) – सदस्य उद्योग विभाग, बिहार, पटना	अनुमोदित।
2.	बिहार राज्य खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार के अनुरूप दिनांक– 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतनमान लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।	बोर्ड की वित्तीय स्थिति के साथ जाँच के लिए स्थापना समिति को प्रस्तुत किया जाए। स्थापना समिति के रिपोर्ट प्राप्ति के बाद बोर्ड के समक्ष लाया जाए। बैक डेट से किसी भी लाभ की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ नहीं लाया जाए।
3.	बिहार राज्य खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान 8.33 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।	बोर्ड का स्थापना व्यय का वहन पूरी तरह से सरकार से प्राप्त अनुदान के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में भविष्य निधि अंशदान में वृद्धि से स्थापना व्यय में वृद्धि हो जाएगी। अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।
4.	बिहार राज्य खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यरत कर्मचारियों को प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।	बोर्ड की वित्तीय स्थिति के साथ जाँच के लिए स्थापना समिति को प्रस्तुत किया जाए। स्थापना समिति के रिपोर्ट प्राप्ति के बाद बोर्ड के समक्ष लाया जाए।
5.	बिहार राज्य खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यरत कर्मियों को वरीयता, योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर अगले पद एवं वेतनमान में स्वीकृत आदेश के तहत कार्यान्वयन के संबंध में।	बोर्ड की वित्तीय स्थिति के साथ जाँच के लिए स्थापना समिति को प्रस्तुत किया जाए। स्थापना समिति के रिपोर्ट प्राप्ति के बाद बोर्ड के समक्ष लाया जाए।

12/01/24

6.	बिहार राज्य खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पटना, भागलपुर, मधुबनी/दरभंगा तथा आरा में मार्च 2024 तक खादी मेला के आयोजन के संबंध में।	मेला कैलेन्डर के अनुसार कार्य किया जाय। यदि किसी जिले में स्थान उपलब्ध नहीं होता है तो दूसरे जिले में मेला आयोजित किया जाय।
7.	मुख्यमंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के तहत आयरण करघा की जगह लकड़ी वाले करघा के खरीद की अनुमति देने के संबंध में।	संस्थाओं को उनकी जरूरत के अनुसार आयरण करघा अथवा लकड़ी वाले करघा में से कोई भी करघा खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।
8.	अन्य बिन्दु।	बोर्ड की प्रत्येक बैठक में प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाय।

12/01/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
पटना।

12/1/24

अपर मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
पटना।